न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/181)

प्रकरण संख्याः– 103/2025
तारीख दायरः– 24/10/2025
निर्णय दिनांकः–25/11/2025

उनवान

1. सुरेश पिता धना जाति कलाल निवासी आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. गणेश पिता धना जाति कलाल निवासी आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)
3. राजेश पिता धना जाति कलाल निवासी आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)
4. मोहनी पत्नी धना जाति कलाल निवासी आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सुन्दरी पत्नी सुखलाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामलाल पिता सुखलाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
3. अशोक पिता डाउलाल जाति कलाल निवासी जोगेला आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
4. कन्हैयालाल पिता घीसा जाति कलाल निवासी खेडा, मियाला तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 54 खसरा संख्या 1368 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1369 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1449/1367 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1451/850 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 848 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 849 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 07 रकबा 2.0350 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 03 ने सम्मन लेने से मना किया। सम्मन लेने से मना करना बाद तामिल की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अप्रार्थी संख्या 02 के कायम मुकाम की आवश्यकता नहीं होने का निवेदन किया गया और अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिए गए।

वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 54 खसरा संख्या 1368 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1369 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1449/1367 रकबा 0.9350 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1451/850 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 848 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 849 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 07 रकबा 2.0350 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

25/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द